(44)

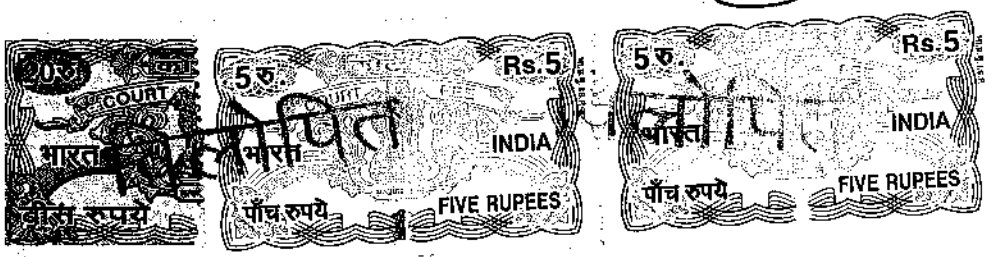

R-1794-I/16

श्री मती रजनी अग्निहोत्री द्वारा आज दि. 6/6/16 को प्रस्तुत

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. फारुख तनय स्व. युसुफ मोहम्मद
2. असलम तनय स्व. युसुफ मोहम्मद
3. अकरम तनय स्व. युसुफ मोहम्मद
4. अखील तनय स्व. सुलेमान मोहम्मद
5. अनस तनय स्व. सुलेमान मोहम्मद
6. सकीना पत्नि अहमद मोहम्मद
7. सायरावानो पत्नि स्व. लतीफ मोहम्मद
8. रफीक तनय स्व लतीफ मोहम्मद
9. तारिक तनय स्व. लतीफ मोहम्मद
10. आसिफ तनय स्व. लतीफ मोहम्मद
11. रूकैया वी पत्नि स्व. अब्बू बकर
12. मो. इस्मईल तनय स्व. अब्बू बकर
13. महमुद तनय स्व. अब्बू बकर
14. शहीद तनय स्व. अब्बू बकर
15. अमीना वी पति स्व. हसन मोहम्मद
16. आरिफ तनय स्व. हसन मोहम्मद
17. कासिव तनय स्व. हसन मोहम्मद
18. अमीन तनय स्व. अयुव मोहम्मद
19. जुवेर तनय स्व. अयुव मोहम्मद
20. हुजैफा तनय स्व. अयुव मोहम्मद
21. विशाल तनय स्व. मूसा
22. कासम तनय स्व. मूसा
23. मासूम तनय स्व. मूसा
24. मो. गनी तनय स्व. यूनिस

बनाम

म.प्र. शासन

L.K. Jain Adv.

(निलेन्द्र सिंह)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/794-II/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र.21/अ–20/वर्ष 14–15 में पारित आदेश दिनांक 25/5/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की कृषि प्रयोजनार्थ भूमि मौजा करीला एंव वामनखेडी स्थित ब्लाक नंबर 7, 8, 9, 10, 13, 14 एंव 4, 2, 3/1, 3/2, 4/3, 4/1, 4/2ए, 6/2, 7, 8, 9 से 64 तथा 2, 3, 5, 7, 11, 12/2, 13 से 50 तक 1 से 40 तक एंव 42 से 48 तक कुल रकवा 30.78 एकड भूमि आवेदकगण के पूर्वजों को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदकगण के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा निरस्त किया गया है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक गण द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदकगण के परिवार में सदस्यों की संख्या अत्यधिक है तथा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते	

R 1794. I/11

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हुए निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है । 5— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस प्रकरण में इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय करने की अनुमति देने से इन्कार किया है कि शासन द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हैं जबकि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 10—2—2016 एवं कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ—06/1962—63 में पारित आदेश दिनांक 2—9—1963 से स्पष्ट है कि आवेदकगणों को विक्रय की जा रही भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया था तथा भूमि राजस्व मद में दर्ज की गई थी इस कारण से संहिता के प्रावधान इस प्रकरण में प्रभावशील हैं। चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि कें बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि क्रय करेंगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनंक 25—5—2016 निरस्त किया जाता है आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	